न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील संख्याः–159/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00110)

1. डालचन्द पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र एवं श्रीमती कल्याणी, जाति मीना, निवासी एफ–14, लालकोठी योजना, टोंक रोड़ जयपुर।
2. श्रीमती भंवरी धर्मपत्नी श्री पूरणमल मीना, पुत्री श्री रामचन्द्र एवं श्रीमती कल्याणी जाति मीना, निवासी ग्राम शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
3. श्रीमती शान्ति धर्मपत्नी श्री गोपाल मीना पुत्री स्व. श्री रामचन्द्र एवं श्रीमती कल्याणी, जाति मीना निवासी ग्राम सेवापुरा छोटी तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, रामकिशोर व्यास भवन जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. श्री सांवताराम पुत्र भैंरूराम, निवासी राधागोविन्द नगर, जयोपुर प्रताप नगर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्री छोट्या पुत्र स्व. श्री रामदेव मीना (मृतक दिनांक 06.10.2015)
   3/1.श्री पूरण पुत्र स्व. श्री छोटॅया,
   3/2.श्री प्रभू पुत्र स्व. श्रीछोटूया,
   3/3.श्रीमती सुनभर बेवा स्व. श्री श्रवण,
   3/4.श्री गोविन्द पुत्र स्व. श्री श्रवण, निवासी प्लॉट नम्बर 17, मीना मौहल्ला, उनियारा गार्डन त्रिमूर्ति सर्किल, जे.एल.एन मार्ग, तहसील व जिला जयपुर।
4. श्री कैलाश पुत्र श्री गोपीराम मीना, निवासी ग्राम श्यामपुरा बुहारिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. श्री गोपाल पुत्र श्री भागीरथ मीना निवासी प्रेमनगर, सुखदेवपुरा नोहरा, वाटिका रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

6. श्री मन्नालाल पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र एवं श्रीमती कल्याणी, जाति मीना निवासी एफ–249 लालकोठी योजना, टोंक रोड़ जयपुर।

––प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 04.09.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण जोन–14, जयपुर के आदेश दिनांक 21.07.2014 (प्रकरण संख्या 202/2013) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 (क) के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम बास बीलवा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 406 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 407 रकबा 9 बिस्वा, खसरा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नम्बर 408 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 409 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 484 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 523 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 659 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 798 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 801 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 802 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 805 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 814 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 815 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 822 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा जिनके नवीन खसरा नम्बर 561 रकबा 0.68 हैक्टयर, खसरा नम्बर 726 रकबा 0.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 925 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 926/1217 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1142 रकबा 0.32 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1146 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1152 रकबा 0.78 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1171 रकबा 0.35 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 1172 रकबा 0.73 हैक्टयर कुल किता 11 कुल रकबा 3.85 हैक्टयर कायम किये गये है, के एकमात्र तन्हा खातेदार काश्तकार अपीलान्ट के नाना स्व. श्री रामचन्द्रा पुत्र नानगा मीना थे तथा इसी प्रकार ग्राम सवाई जयसिंहपुरा बासं बीलवा स्थिति भूमि साबिका खसरा नम्बर 804 रकबा 6 बिस्वा गैर मु0 चाह जिसके नवीन खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.04 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 1145 रकबा 0.02 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.06 हैक्टसी कायम किये गये के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट के नाना स्व. श्री रामचन्द्रा पुत्र नानगा मीना थे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट्स के नाना स्व. श्री रामचन्द्रा पुत्र नानगा के कोई पुत्र संतान नही थी जिनके एकमात्र पुत्री सन्तान अपीलान्ट्स की माता श्रीमती कल्याणी देवी थी जो कि स्व. श्री रामचन्द्रा के नाम अंकित भूमि वादग्रस्त जिनका विस्तृत विवरण अपील के पैरा संख्या 1 व 2 में अंकित किया गया है, की एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है स्व. रामचन्द्रा का देहान्त होने के पश्चात् उपरोक्त वर्णित भूमि के विरासत का नामान्तरकरण विधिवत अपीलान्ट्स की माता श्रीमती कल्याणी देवी के नाम अंकित किया जाना चाहिये था किन्तु रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 ने अपीलान्ट की माता श्रीमती कल्याणी पुत्री रामचन्द्रा के अनपढ एवं पर्दानशी महिला होने का अनुचित लाभ उठाते हुए कतई अवैध रूप से ग्राम पंचायत बीलवा बुजुर्ग के तत्कालीन सरपंच से साजिश कर अपने आप को स्व. श्री रामचन्द्रा का जाईन्दा पुत्र होना जाहिर करते हुए स्व. श्री रामचन्द्रा का नाम अंकित भूमि विवादग्रस्त के विरासत का नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 13.06.1960 को अपने नाम अंकित करवा लिया जो कतई अवैध अंकन होने के कारण प्रारम्भ से शून्य एवं अविधिमान्य प्रविष्टि है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वास्तविकता में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 छोट्या के पिता का नाम रामदेव है जबकि उसने तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बीलवां बुजुर्ग से साजिश करके अपने आपको स्व. श्री रामचन्द्र का जाईन्दा पुत्र होना जाहिर करते हुए स्व. श्री रामचन्द्रा के नाम अंकित

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त को अपने नाम अंकित करवा लिया, जो कतई अवैध अंकन है जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स की माता श्रीमती कल्याणी पुत्री रामचन्द्र को होने पर उन्होने उक्त अवैध अंकन को दुरूस्त करवाने एवं स्व. श्री रामचन्द्रा के नाम अंकित उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु नियमानुसार वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के समक्ष दिनांक 30.11.2005 को प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 01.12.2015 को दर्ज कर न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर भूमि वादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमा दिया, जो आज दिनांक तक यथावत है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दौरान वाद अपीलान्ट्स की माता श्रीमती कल्याणी का दिनांक 15.11.2008 को देहान्त हो गया और उनके विधिक उत्तराधिकारियों के रूप में अपीलान्ट एवं प्रारूपिक अप्रार्थी संख्या 6 को उनके स्थान पर विचाराधीन वाद में नियमानुसार प्रतिस्थापित किया जा चुका है, अपीलान्ट्स के पूर्व अधिवक्ता की लापरवाही की वजह से अपीलान्ट का उक्त वाद एवं आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.08.13 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया जिसकी अपीलान्ट को जानकारी प्राप्त होने पर अपीलान्ट्स ने नियमानुसार अन्दर मियाद बाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांक 12.08.2013 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिसे दिनांक 25.06.2014 को स्वीकार कर मूल वाद एवं आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा को पुनः पूर्व स्थिति पर प्रतिस्थापित किया जा चुका है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट के पूर्व अधिवक्ता की लापरवाही से अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में निरस्त हुए उक्त वाद एवं आवेदन का अनुचित लाभ उठाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने राजस्व भू अभिलेखों के कतई अवैध रूप से करवाये गये अंकन के आधार अपने नाम अंकित भूमि में से 2.97 हैक्टयर भूमि को अलग–अलग विक्रय पत्रों के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4 व 5 को बेचान कर दिया जिसके आधार पर अपीलान्ट को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही क्रेतागण के नाम कतई अवैध रूप से नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत वाद एवं आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.06.14 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर पूर्वानुसार प्रतिस्थापित किया जा चुका है किन्तु फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कतई अवैध रूप से भूमि खसरा नम्बर 1152 रकबा 0.78 हैक्टयर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवाने हेतु आवेदन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कतई अवैध रूप से दिनांक 21.07.14 को स्वीकार करते हुए दौराने दावा एवं जारी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 01.12.2005 की अवहेलना करते हुऐ भूमि वादग्रस्त को गोपनीय तरीके से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करने का आदेश फरमा दिया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने आपस में साजिश कर अपीलार्थीगण को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तथा निषेधाज्ञा आदेश की अवहेलना करते हुऐ अपीलार्थीगण की उपरोक्त वर्णित पैतृक कोपार्सनरी सम्पत्ति को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करने का अपीलाधीन आदेश प्रदान कर दिया जिससे अपीलार्थी के साम्पत्तिक एवं वैधानिक अधिकार गंभीर रूप से विपरित प्रभावित हो रहे है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध रूप से पारित अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश दिनांक 21.07.2014 पारित किया है, जो न्याय प्रशासन एवं न्यायिक प्रणाली के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के पूर्णतः प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण की माता द्वारा अपने हक एवं अधिकारों की विधिवत् घोषणा करवाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद एवं उनके द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा की रेस्पोडेन्ट को प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी थी किन्तु फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने आपस में साजिश कर निषेधाज्ञा आदेश की अवहेलना करते हुऐ दिनांक 21.07.2014 को अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन रेस्पोडेन्ट्स ने आपस में साजिशकर षड़यन्त्र पूर्वक अपीलान्ट को समस्त प्रक्रिया से अवगत करवाये बिना तथा पक्ष, समर्थन एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 21. 07.2014 को भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 1152 रकबा 0.78 हैक्यर का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(क) के तहत कृषि एवं खातेदारी अधिकारों को पर्यावसान कर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कर दिया गया जो कि विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित नियमित वाद के विचारण के दौरान उक्त वाद की कार्यवाही को निर्मूल एवं सारहीन करने के कुत्सित उद्देश्य से पारित किया गया निर्णय होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान राजस्व भू अभिलेखों में अंकित खातेदारी के साथ–साथ संपरिवर्तित की जाने वाली भूमि के मौके एवं पूर्ववर्ती अभिलेख की भी जानकारी सम्बन्धित तहसीलदार से प्राप्त किये जाने का बाध्यकारी प्रावधान है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश परित करने से पूर्व विधि के इस महत्वपूर्ण एवं बाध्यकारी सिद्धान्त की कोई पालना नही की, परिणामस्वरूप अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा दिनांक 02.10.2015 को राजस्थान पत्रिका के पृष्ठ संख्या 6 पर भूमि वादग्रस्त का आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु नियमन शिविर दिनांक 07.10.2015 को लगाये जाने की सूचना प्रकाशित की गई जिसका अध्ययन करने पर अपीलार्थी संख्या 1 ने दिनांक 02.10.2015 को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त सूचना की जानकारी की तो उसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.2014 की जानकारी हुई जिस पर अपीलार्थीगण ने तुरन्त प्रभाव से आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

समक्ष प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 06.10.2015 को अपीलार्थी संख्या 1 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान की गई और इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम दिनांक 02.10.2015 को प्रकाशित सूचना एवं दिनांक 06.10.2015 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के बाद हुई, इससे पूर्व अपीलाधीन आदेश की आपीलार्थीगण को कोई जानकारी नही थी और इस प्रकार अपील अपीलान्ट्स द्वारा जानकारी के दिन से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा उक्त विलम्ब को क्षमा कराने हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे तथा नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचाराधीन रहते हुए एवं स्पष्टतया अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क में वर्णित प्रावधनों के साथ–साथ प्रक्रियात्मक विधि का भी जानबुझकर घोर उल्लंघन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसका प्राधिकृत अधिकारी को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया की अवहेलना करते हुऐ विधि कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थीगण की पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 1152 रकबा 0.78 हैक्टयर के सम्बन्ध में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.2014 निरस्त फरमाया जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 90 बी(3) के तहत सरेण्डर की गई है, ऐसी स्थिति में न्यायालय श्रीमान् को अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में श्रवणाधिकार नही है, इस सम्बन्ध में माननीय रेवेन्यू बोडे के निर्णय आरआरटी 2012 पार्ट प्रथम पेज 676 रामेश्वर व अन्य बनाम श्रीमती गुलाबदेवी व अन्य में प्रतिपादित किया गया है। उन्होने कथन किया है कि ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में उक्त मद में उल्लेखित आराजीयात स्थिति होना स्वीकार है, जिसके रामचन्द मीना पुत्र नानगा मीना खातेदार होने का तथ्य स्वीकार है तत्पश्चात् उक्त आराजीयात का रामचन्द्र के फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 13.06.1960 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 छोट्या पुत्र रामदेव के हक में खुल गया उक्त छोट्या पुत्र रामदेव द्वारा अपीलाधीन आराजीयात का विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में कर दिया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खसरा नम्बर 115, 1152, किता 2 कुल रकबा 0.93 हैक्टयर के सम्बन्ध मे अपनी भूमि को समर्पित क्रेता सह खातेदार राजूलाल पुत्र प्रताप मीना निवासी 40 टीबा वाली ढाणी, श्योसिंपुरा सांगानेर जिला जयपुर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने किया, खातेदारी दर्ज हो गयी उक्त खातेदारी दर्ज होने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ने 90–ए भू राजस्व

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिनियम के तहत उक्त भूमि की 90–ए की कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के जोन उपायुक्त 14 के समक्ष प्रस्तूत की तथा अपनी खातेदारी की भूमि को जोन उपायुक्त के समक्ष समर्पित कर गैर कृषि प्रयोजन हेतु आवासीय उपयोग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की विधिवत रूप से जांच की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि अपीलान्ट अपनी लिखित बहस के मद नम्बर 3 में अपीलान्ट अपने आपको रामचन्द्र पुत्र नानगा को नाना बताते आ रहे है तथा उनके कोई सन्तान नही होने का तथ्य व अपीलान्ट ही एकमात्र पुत्री होने का कथन कर रहे है लेकिन उक्त तथ्यों का सिविल वाद या अन्य वाद में उज्र करे, हस्तगत प्रकरण में यही साबित करने का तथ्य नही है कि अपीलान्ट उसके वारिस किस प्रकार से है, यदि अपीलान्ट किसी प्रकार से रामचन्द्र पुत्र नानगा के वारिस है तो उक्त तथ्य सिविल वाद में ही तय किये जायेंगे, श्रीमान् के द्वारा उक्त तथ्य तय नही किये जायेगे, उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम वर्ष 1960 में तस्दीक गया तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा निरन्तर खातेदारी दर्ज होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सद्भाविक रूप से उक्त आराजीयात में से उल्लेखित दो खसरा नम्बरो की भूमि को क्रय किया है, इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सद्भाविक क्रेता है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट की लिखित बहस की मद संख्या 4 में उल्लेखित तथ्यों में उपखण्ड अधिकारी द्वितीय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने का तथ्य की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को श्रीमान् के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् ही हुई है, इससे पूर्व किसी भी प्रकार के दावा प्रस्तुत होना या उसमें अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने का तथ्य रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की जानकारी में कतई नही था, ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत उक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकार था, जहॉ तक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रश्न है व वाद लम्बित का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उक्त आराजीयात में से हाल खसरा नम्बर 1151, 1152 के क्रय के दिन किसी भी प्रकार का वाद न्यायालय मे लम्बित नही था तथा जोन उपायुक्त के समक्ष आवासीय में परिवर्तन करने बाबत 90–ए के आवेदन प्रस्तुति के दिन भी वाद लम्बित नही था चूँकि उक्त वाद दिनांक 06.08.2013 को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका था इस प्रकार जब वाद ही खारिज था तो अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 4, 5 के हक में नामान्तरकरण संख्या 198 दिनांक 05.09.2013 को स्वीकृत किया गया, उक्त नामान्तरकरण के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अपीलाधीन आराजीयात में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये उक्त नामान्तरकरण तस्दीक के दिन अपीलान्ट के राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार के हक व अधिकार नही थे इसलिये उन्हे सुनने का तथ्य अपने आप में

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ही हास्यास्पद है, अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलाधीन आराजीयात में खसरा नम्बर 1151 व 1152 को क्रय कर लिया था तथा खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज था जो खातेदार अपनी भूमि को जोन उपायुक्त के समक्ष समर्पित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में क्रयशुदा भूमि का पट्टे या लीज दिनांक 21.07.2014 को जारी की गई है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, उस दिन अपीलान्ट का किसी भी प्रकार का कोई लोकस स्टेण्डाई नही था इसलिये सुनवाई का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 198 की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा आराजी का बेचान करने पर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी इत्यादि में भी हो चुका है तथा अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये जिससे वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट की किसी प्रकार की कोई लोकस स्टेण्डाइ साबित होती हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड के मद्देजर ही जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.2014 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी, जोन–14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.2017 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।